

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास अनुभाग-1)

क्रमांक: एफ 7(2)ग्रावि/गुप-1/2017/पार्ट-1

जयपुर, दिनांक:

09 APR 2018

—आदेश—

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला परिषद, जालौर के आदेश क्रमांक –एफ ( )संस्थापन/2018/111 दिनांक 06.04.2018 द्वारा श्री आर.एस.पुरोहित, अधिशाषी अभियन्ता (महात्मा गांधी नरेगा), जिला परिषद, जालौर को ग्रामीण विकास मुख्यालय, जयपुर हेतु कार्यमुक्त किया गया है । उक्त क्रम में श्री पुरोहित की प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए इनकी सेवाएं इनके पैतृक विभाग (सार्वजनिक निर्माण विभाग) को लौटाई जाती है ।

श्री पुरोहित को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी उपस्थिति सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्रस्तुत करेंगे ।



(सीमा सिंह)

संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन)

E-mail dsadmn\_rdd@yahoo.com

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज. जयपुर ।
2. जिला कलक्टर, जालौर ।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जालौर ।
4. संयुक्त शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज. जयपुर ।
5. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज. जयपुर ।
6. श्री आर.एस.पुरोहित, अधिशाषी अभियन्ता(महात्मा गांधी नरेगा.), जिला परिषद, जालौर ।
7. प्रोग्रामर, ग्रा.वि. राज0 जयपुर को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है ।



(राजेश कुमार शर्मा)

परियोजना अधिकारी(प्रशासन)